प्राक्कथन

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन झारखण्ड के राज्यपाल को राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

झारखण्ड में 2017-18 से 2020-21 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का एक निष्पादन लेखापरीक्षा नवंबर 2021 से मई 2022 के दौरान किया गया था, इसके अभीष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने की गंभीरता और छात्रवृत्ति योजनाओं में प्रत्यक्ष और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभ अंतरण के सापेक्ष प्रभाव पर विचार किया गया था।

यह प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के निष्पादन लेखापरीक्षा दिशा-निर्देशों और लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमों के अनुसार तैयार की गई है।